संख्या-06/2018/333/84-1-2018-07बामा/2015

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक: 27 मार्च,2018

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3456 के अंतर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का पुनर्विनियोग द्वारा धनवांटन/ प्रावधान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11761/एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/ब0आ0 2/17-18, दिनांक 14.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3456 के अंतर्गत विभिन्न मानक मदों में श्री राज्यपाल महोदय रू0 595.01 लाख (रूपये पांच करोड़ पचानवे लाख एक हजार मात्र) संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर व्यय करने की निम्न शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) विभाग द्वारा समस्त औपचारिकतायें वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
(5) विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या-21 लेखाशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्त संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों अधिष्ठान-01-वेतन-17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व-42-अन्य व्यय-45-अवकाश यात्रा व्यय-51-वर्दी व्यय के मद में संलग्न बी0एम0-9 के कॉलम-3 में हो रही बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या-21 लेखाशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्त संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों अधिष्ठान-03-मंहगाई भत्ता-04-यात्रा भत्ता-05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय-09-विद्युत व्यय-10-जलकर एवं जल प्रभार-16-व्यावसायिक सेवाओं का भुगतान-49-चिकित्सा व्यय के अन्तर्गत/ सुसंगत मदों में संलग्न बी0एम0-9 के कॉलम-12 के अनुसार प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-7-236/दस-18 दिनॉक 26-03-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-06/2018/333(1)/84-1-2018-07बामा/2015 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/ संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in